



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928



संख्या : 53-पै0एवंआर0-28/पाकालि/2018-60-पी/98,

दिनांक 11 जनवरी, 2019

प्रबन्ध निदेशक,

मध्यांचल/पश्चिमांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0,

लखनऊ/मेरठ/वाराणसी/आगरा,

केसको, कानपुर।

विषय : निवर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के दिनांक 14 जनवरी, 2000 को विद्यमान पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों एवं उक्त तिथि को कार्यरत ऐसे कार्मिकों जिन्हें पेंशन सुविधा अनुमन्य है तथा जो विभिन्न उत्तराधिकारी कम्पनियों से दिनांक 14 जनवरी, 2000 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुये अथवा होंगे की पेंशन/पारिवारिक पेंशन, उपादान एवं पेंशन राशिकरण का कोषागारों के माध्यम से भुगतान।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक ऊर्जा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2019/1660/24-पी-2-18-सा0(144)/17, दिनांक 02 जनवरी, 2019 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के माध्यम से राज्य शासन द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान राजकीय कोषागारों के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में पूर्व जारी शासनादेश संख्या-1/2016/41/24-पी-2-16-सा0(84)/2014, दिनांक 13 जनवरी, 2016 के प्रस्तर-3(Viii) में प्राविधानित व्यवस्था को निम्नवत संशोधित किया गया है -

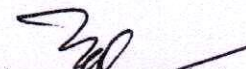
प्रस्तर	पूर्व प्राविधानित व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
प्रस्तर-3(Viii)	कोषागारों से भुगतान हेतु कट-आफ-डेट पेंशन प्राधिकार पत्र कोषागारों को स्थानान्तरित करने हेतु कट-आफ-डेट 29 फरवरी, 2016 होगी। उक्त तिथि तक के समस्त भुगतान वर्तमान पेंशन संवितरण अधिकारियों द्वारा किये जायेंगे तथा उक्त तिथि के उपरान्त के समस्त भुगतान कोषागारों द्वारा किये जायेंगे। दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक के पूर्व की कोई देयता यदि उक्त तिथि के उपरान्त भी लम्बित पायी जाती है, तो उसका भुगतान वर्तमान संबंधित पेंशन संवितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ, ऊर्जा विभाग की अनुदान में वर्षानुवर्ष समुचित धनराशि की व्यवस्था करायी जायेगी। विद्युत कम्पनियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि माह फरवरी, 2016 की पेंशन का भुगतान करने के तत्काल उपरान्त पेंशन भुगतानादेश की प्रतिलिपि हस्तान्तरित कर दी जाये।	ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों के पेंशनर्स के समस्त देयों दिनांक 29 फरवरी, 2016 के पूर्व के देयों को सम्मिलित करते हुए, का भुगतान कोषागारों के माध्यम से ही किया जाएगा।

उक्त संशोधित व्यवस्था के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-1/2016/41/24-पी-2-16-सा0(84)/2014, दिनांक 13 जनवरी, 2016 की अन्य व्यवस्था यथावत प्रभावी रहेंगी।

कृपया शासनादेश के उक्त संशोधित व्यवस्था के अनुसार दिनांक 29 फरवरी, 2016 के पूर्व के पेंशनरी देयों को सम्मिलित करते हुए समस्त पेंशनरी देयों का भुगतान राजकीय कोषागारों के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक-यथोपरि।


(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या-53(1)पें0एण्डआर0-28/पाकालि/18, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियां।
6. समस्त जिला कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाईज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत वितरण कम्पनियाँ।
9. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. कट फाईल।

आज्ञा से,



(सैयद आरिफ हैदर)

अनु सचिव (पें0एवंआर0)

प्रेषक:

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

36/MDS/19

04/01/2019

ऊर्जा अनुभाग-2

विषय:-

निदेशक,
कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन,
लखनऊ।

लखनऊ: दिनांक : 2 जनवरी, 2019

निवर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के दिनांक 14 जनवरी, 2000 को विद्यमान पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों एवं उक्त तिथि को कार्यरत ऐसे कार्मिकों जिन्हें पेंशन सुविधा अनुमन्य है तथा जो विभिन्न उत्तराधिकारी कम्पनियों से दिनांक 14 जनवरी, 2000 के उपरान्त सेवानिवृत्त हुये अथवा होंगे की पेंशन/पारिवारिक पेंशन, उपादान एवं पेंशन राशिकरण का कोषागारों के माध्यम से भुगतान।

Din (P2A)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2016/41/24-पी-2-16-सा0(84)/2014, दिनांक 13 जनवरी, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर-3 (viii) में यह व्यवस्था प्राविधानित है कि "कोषागारों से भुगतान हेतु कट-आफ-डेट पेंशन प्राधिकार पत्र कोषागारों को स्थानान्तरित करने हेतु कट-आफ-डेट 29 फरवरी, 2016 होगी। उक्त तिथि तक के समस्त भुगतान वर्तमान पेंशन संवितरण अधिकारियों द्वारा किये जायेंगे तथा उक्त तिथि के उपरान्त के समस्त भुगतान कोषागारों द्वारा किये जायेंगे। दिनांक 29 फरवरी, 2016 तक के पूर्व की कोई देयता यदि उक्त तिथि के उपरान्त भी लम्बित पायी जाती है, तो उसका भुगतान वर्तमान संबंधित पेंशन संवितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस प्रयोजनार्थ, ऊर्जा विभाग की अनुदान में वर्षानुवर्ष समुचित धनराशि की व्यवस्था करायी जायेगी। विद्युत कम्पनियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि माह फरवरी, 2016 की पेंशन का भुगतान करने के तत्काल उपरान्त पेंशन भुगतानादेश की प्रतिलिपि हस्तान्तरित कर दी जाये।"

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश संख्या-1/2016/41/24-पी-2-16-सा0(84)/2014, दिनांक 13 जनवरी, 2016 के प्रस्तर-3 (viii) में प्राविधानित व्यवस्था इस सीमा तक संशोधित मानी जाये कि ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों के पेंशनर्स

के समस्त देयों दिनांक 29.02.2016 के पूर्व के देयों को सम्मिलित करते हुए, का भुगतान कोषागारों के माध्यम से ही किया जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-10-283/दस-2018, दिनांक 31.12.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-1660(1)/24-पी-2-2018 तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
- ✓ 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 एवं उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- समस्त डिस्कम्स।
- 5- समस्त जिलाधिकारी।
- 6- निदेशक पेंशन निदेशालय उ0प्र0।
- 7- समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 8- सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद पावर सेक्टर, इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(मणीन्द्र शर्मा)
उप सचिव।